Action Taken Report in the matter of O.A No. 329 of 2021 Devanshu Bose Vs Agra Development Authority & Ors. as per order of Hon'ble National Green Tribunal dated 24.03.2022

In the O.A No. 329 of 2021 Devanshu Bose Vs Agra Development Authority & Ors. Hon'ble National Green Tribunal has pleased to pass an order dated 24.03.2022, the operating para of the order is quoted as below:-

"8. In view of above, further remedial action be now taken to ensure that proper sewerage system is in place connected to an appropriate STP. No untreated sewage is discharged in open. This may be ensured by the Vice Chairman, ADA and overseen by the Additional Chief Secretary, Urban Development, UP and State PCB. This order is without prejudice to the coercive measures which may be taken by the State PCB, in accordance with law. The Additional Chief Secretary, Urban Development may sort out any unresolved issue with regard to financial liability or any other issue.

9. Let an action taken report be filed by the Additional Chief Secretary, Urban Development, Vice Chairman, ADA and UPPCB within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. They may also apprise the Tribunal about remedial action with regard to similar situations at other locations in Agra and other cities in the State of UP. "

In compliance of the direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal on dated 24.03.2022 a letter has been sent to Vice Chairman, Agra Development Authority vide letter dated 30.03.2022 to provide details of the builder of Nalanda Town Colony to take necessary action as per E (P) Act 1986 and Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974. **(Annexure-1)**

In compliance of the direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal on dated 24.03.2022, a meeting has been called on dated 30.03.2022 under the Chairmanship of Vice Chairman, Agra Development Authority. In the said meeting Chief Town Planner, Town Planner, Chief Engineer (I/c), Executive Engineer-2, Assistant Engineer (Building), Assistant Engineer (Section-2), Junior Engineer (Section-2) ADA, Nalanda Town Colony Developer & Builder Shree Radhey Shyam Sharma, residents of Nalanda Town Colony and Regional Officer, UPPCB were present and directions were issued to take necessary action in compliance of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal. **(Annexure-2)**

Again, a letter dated 07.04.2022 was sent to Vice Chairman, Agra Development Authority to provide details of the builder of Nalanda Town Colony to take necessary action as per Environment (Protection) Act 1986/ Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974. **(Annexure-3)**

In the continuation of the letter dated 07.04.2022 Town Planner, Agra Development Authority provided information on dated 16.04.2022 pertaining to the Director of Nalanda Builders and Developers. **(Annexure-4)**

Secretary, Agra Development Authority informed vide letter dated 23.04.2022 that FIR has been lodged against Shri Radhey Shyam Sharma, Director, Nalanda Builders and Developers Pvt. Ltd., Agra. **(Annexure-5)**

Executive Engineer, Agra Development Authority informed vide its letter dt.22.04.2022 that ADA has started to dispose of the domestic Sewage Effluent accumulated on open land and in the drains outside the gate no.2 of the Nalanda Town Colony through tankers. **(Annexure-6)**

Shri Ankur Dubey, Director, Nalanda Builders & Developers informed vide letter dated 28.04.2022 to Vice Chairman, Agra Development Authority that work order has been placed to M/s Riasa Water Technologies Pvt. Ltd., New Delhi regarding installation of Sewage Treatment Plant within 45 days. **(Annexure-7)**

Executive Engineer, Agra Development Authority informed vide its letter dt.10.05.2022 that ADA has completely disposed of the domestic sewage accumulated on open land and in the drain outside the gate no.-2 of Nalanda Town Colony. **(Annexure-8)**

The State Pollution Control Board vide letter no. H75360/C-4/N.G.T-141/2022 dt.10.05.2022 has imposed Environmental compensation of Rs. 2,13,98,437.50/- (Two Crore thirteen lakh ninty eight thousand four hundred thirty seven rupees and fifty paisa only) against Shri Radhey Shyam Sharma, Director, Nalanda Town, Samshabad Road, Agra. **(Annexure-9)**

The reminder letters have been sent by the Board on dt.18.05.2022 and dated 16.06.2022 to Shri Radhey Shyam Sharma, Director, Nalanda Town, Samshabad Road, Agra regarding deposition of the imposed Environmental Compensation. **(Annexure-10 and 11)**

It is pertinent to mention that a reply through registered letter has been received on dt.25.05.2022 by the Advocate of Shri Radhey Shyam Sharma, Director Nalanda Builders and Developers (I) Ltd., in which he has mentioned that a legal notice has been served to Vice Chairman, Agra Development Authority to the effect that Shri Radhey Shyam Sharma is no more Director of M/s Nalanda Builders and Developers (I) Ltd. as resignation was given on 10.03.2017 from the post of Director and intimation to this effect was sent to the registrar of companies at Kanpur and to make the further correspondence with the director(s) of this company namely Shri Ashok Kumar Tiwari, Ankur Dubey & Sushil Kumar Singh (**Annexure-12).** Till date the imposed Environmental Compensation of Rs. Rs. 2,13,98,437.50/- (Two Crore thirteen lakh ninty eight thousand four hundred thirty seven rupees and fifty paisa only) has not been deposited by the Director of M/s Nalanda Builders and Developers (I) Ltd., Agra.

The latest inspection of Nalanda Town and its nearby area was conducted by the officer of the Regional Office, U.P. Pollution Control Board Agra on dt.10.06.2022 & 23.06.2022. During the visit it was found that the domestic sewage collected on open land and in the drain near gate no-2 of the Nalanda Town colony has been completely removed. The Executive Engineer Agra Development Authority has orally informed that the total collected sewage has been disposed of through 78 MLD STP installed at Dhandupura, Agra and at present domestic sewage generated from the Nalanda Town is also collected in tanker and disposed through the 78 MLD STP installed at Dhandupura, Agra. It was also found that the developer and builder of Nalanda Town Colony has started the civil work of Sewage treatment plant and the construction work is in progress, which is likely to be completed within one month. (**Annexure-13)**

28/6/22

(Dr. Vishwanath Sharma)
Regional Officer (I/c),
UPPCB, Agra.

A-1

Email:roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 1664 / ओजी–673 / 2022

दिनांक – 30 / 03 / 2022

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण
अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में,

उपाध्यक्ष महोदय,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 24.03.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–329 / 2021 **देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य** में दिनांक **24.03.2022** को पारित आदेश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें निम्नवत् उल्लिखित हैः–

"8. In view of above, further remedial action be now taken to ensure that proper sewerage system is in place connected to an appropriate STP. No untreated sewage is discharged in open. This may be ensured by the Vice Chairman, ADA and overseen by the Additional Chief Secretary, Urban Development, UP and State PCB. This order is without prejudice to the coercive measures which may be taken by the State PCB, in accordance with law. The Additional Chief Secretary, Urban Development may sort out any unresolved issue with regard to financial liability or any other issue."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के कम में बिल्डर पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 / जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 संशोधित अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत परिवाद दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जानी है।

अतः अनुरोध है कि नांलन्दा टाउन कालोनी के बिल्डर का पूरा नाम, पिता का नाम, घर का पता, कान्टेक्ट नं0, थाना क्षेत्र आदि उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके।

भवदीय

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/3/22
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

A-2

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक :– 407/D/EE-2/21-22

दिनांक :– 30/03/2022

कार्यवृत्त

नालन्दा टाउन कालोनी, शमशाबाद रोड, आगरा के अन्तर्गत सीवेज की समस्या के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल आई.ए. नम्बर–329/2021 देवांशु बोस बनाम आ0वि0प्रा0 व अन्य में दिनांक 24.03.22 को पारित आदेश के अनुपालन में उपाध्यक्ष, आ0वि0प्रा0, आगरा की अध्यक्षता में आज दिनांक 30.03.22 को मुख्य नगर नियोजक, प्र0 मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता (भवन), नगर नियोजक, क्षेत्रीय अधिकारी–उ0प्र0प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड. अधिशासी अभियन्ता–2, सहायक अभियन्ता (भवन), सहायक अभियन्ता (खण्ड–2), अवर अभियन्ता (खण्ड–2) एवं नालन्दा टाउन कालोनी विकासकर्ता श्री राधे श्याम शर्मा, नालन्दा टाउन कालोनी के आवंटी श्री इन्द्रपाल, श्री डी.एल. यादव एवं अन्य निवासीगण बैठक में उपस्थित हुये। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :–

1. कालोनी के विकासकर्ता मै0 नालन्दा टाउन एण्ड डवलपर्स को एस.टी.पी. की स्थापना एवं अन्य अवशेष कार्य हेतु नोटिस दिया जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग)।
2. दिनांक 06.04.2022 तक विकासकर्ता द्वारा कालोनी के आवंटियों की आर.डब्लू.ए. बनाने के सम्बन्ध में पंजीकरण कराया जाए एवं विकासकर्ता 20.04.22 तक कालोनी की सर्विसेज को आर.डब्लू.ए. को हैण्ड ओवर करना सुनिश्चित् करें (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग)।
3. नालन्दा टाउन कालोनी के विकासकर्ता द्वारा दिनांक 13.04.22 तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग)।
4. इस क्षेत्र में स्थित समस्त कालोनियों का सर्वे कराकर बाह्य विकास शुल्क, आन्तरिक विकास शुल्क का विस्तृत विवरण एक सप्ताह में तैयार किया जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग)।
5. अवशेष कार्य पूर्ण न करने एवं योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के विरूद्ध विकासकर्ता के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाए एवं पर्यावरण विभाग से एन.ओ.सी. न लेने के सम्बन्ध में भी नोटिस निर्गत किया जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग)।
6. नालन्दा टाउन कालोनी के गेट के बाहर एकत्रित स्लज मिश्रित सीवेज के पानी को आचार संहिता समाप्त होते ही सात दिन के अन्दर टैंकरों के माध्यम से स्थल से हटा दिया जाए, इसके पश्चात् एस.टी.पी. का निर्माण होने तक सीवेज निस्तारण टैंकरों के माध्यम से कराने के लिए आर.डब्लू.ए. को नाटिस दिया जाए (कार्यवाही–अभियन्त्रण खण्ड–2)।
7. विकासकर्ता मै0 नालन्दा टाउन एण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन समस्त कालोनियों के सम्बन्ध में जांच कर आख्या प्रस्तुत की जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग/नियोजन अनुभाग/सम्बन्धित अभि. खण्ड)।

EE

8. बिन्दु–7 के अन्तर्गत जांच हेतु सचिव, अधीक्षण अभियन्ता (भवन), नगर नियोजक, अधिशासी अभियन्ता–2 सहित संयुक्त समिति का गठन किया जाएं (कार्यवाही–मुख्य अभियन्ता)।
9. विकासकर्ता द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी में एस.टी.पी. की स्थापना का कार्य दिनांक 27.04.22 तक अवश्य पूर्ण कर दिया जाए (कार्यवाही–मानचित्र अनुभाग/अभि. खण्ड–2)।
10. विकासकर्ता मै0 नालन्दा टाउन एण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा निर्मित शास्त्रीपुरम स्थित कालोनी नालन्दा क्राउन का निरीक्षण दिनांक 05.04.22 को प्रातः 10:00 बजे कराया जाए (कार्यवाही–मुख्य अभियन्ता)।
11. नालन्दा टाउन कालोनी की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्येक बुधवार को 12:00 बजे बैठक की जाए (कार्यवाही–मुख्य अभियन्ता/मुख्य नगर नियोजक/अधीक्षण अभियन्ता (भवन))।
12. प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों की टीम द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी का भ्रमण किया गया। जैसाकि विकासकर्ता श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा बैठक में बताया गया कि उक्त कालोनी में एस.टी.पी. बना है। किसी अधिकारी द्वारा भ्रमण में उक्त कालोनी में एस.टी.पी. निर्मित नहीं पाया गया। केवल सेप्टिक टैंक बना है और पम्प द्वारा डिस्चार्ज खुले में डाला जा रहा है।
13. विकासकर्ता द्वारा एस.टी.पी. स्थापना से पूर्व संयत्र का स्पेशीफिकेशन व विवरण प्राधिकरण को तत्काल अनुमोदन कराया जाए।
14. संदर्भित क्षेत्र में विकसित अन्य कालोनियों में भी यही समस्या बताई गई। निर्देश दिये गये कि जल निगम द्वारा तैयार की गयी पानी की निकासी/ड्रेनेज की डी.पी.आर. वित्त पोषण एवं स्वीकृति हेतु उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जाए। (कार्यवाही–अभियन्त्रण खण्ड–2)।
15. स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा कि स्वीकृत महायोजना अनुसार सड़कों की चौड़ाई निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। अतः इस पर संयुक्त रूप से निर्णय नियोजन अनुभाग व भू–अर्जन अनुभाग द्वारा लिया जाना है। (कार्यवाही–मुख्य नगर नियोजक एवं प्र0 भू–अर्जन)

30-03-22

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि :–

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुपालनार्थ।

उपाध्यक्ष

A-3

Email:roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 33 / ओजी–673/2022 दिनांक – 07 /04/2022

अनुस्मारक
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण
अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

उपाध्यक्ष महोदय,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–329/2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 24.03.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक 1664/ओजी–673/2022 दिनांक 30.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–329/2021 **देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य** में दिनांक **24.03.2022** को पारित आदेशों में निम्नवत् उल्लिखित हैः–

"8. In view of above, further remedial action be now taken to ensure that proper sewerage system is in place connected to an appropriate STP. No untreated sewage is discharged in open. This may be ensured by the Vice Chairman, ADA and overseen by the Additional Chief Secretary, Urban Development, UP and State PCB. This order is without prejudice to the coercive measures which may be taken by the State PCB, in accordance with law. The Additional Chief Secretary, Urban Development may sort out any unresolved issue with regard to financial liability or any other issue."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के कम में बिल्डर पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986/ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 संशोधित अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत परिवाद दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जानी है। जिसके कम में नांलन्दा टाउन कालोनी के बिल्डर का पूरा नाम, पिता का नाम, घर का पता, कान्टेक्ट नं0, थाना क्षेत्र आदि की सूचना प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध किया गया था। उक्त सूचना कार्यालय में प्राप्त नहीं है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि नांलन्दा टाउन कालोनी के बिल्डर का पूरा नाम, पिता का नाम, घर का पता, कान्टेक्ट नं0, थाना क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके।

भवदीय

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

7/4/22
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

A-4
23/4/22

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक सं0:- 45/BFT/04/04-05 दिनांक : 16/4/22

प्रेषक,

नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

डा0 विश्वनाथ शर्मा
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड
भवन सं0 14, सै0-3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आगरा।

विषयः- **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 329/2021, देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 24.03.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0-1664/ओजी-673/2022, दिनांक 30.03.2022 व 33/ओजी-673/2022, दिनांक 07.04.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें नालन्दा टाउन कॉलोनी के बिल्डर का पूरा नाम, पिता का नाम घर का पता, कान्टेक्ट नं0, थाना क्षेत्र आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त पत्र के क्रम में भवन अनुभाग द्वारा नालन्दा टाउन कॉलोनी, मौजा-बरौली अहीर, आगरा की स्वीकृत मानचित्र पत्रावली के अनुसार विकासकर्ता का विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम रंजना अग्रवाल पत्नी प्रहलाद कुमार अग्रवाल निवासी 33/67/3, अजमेर रोड, आगरा द्वारा दिनांक 30.08.05 को मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। श्रीमती रंजना अग्रवाल द्वारा बैनामा नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स इण्डिया प्रा0लि0, एफ-4, ब्लॉक-41 फ्रेण्डस टावर, संजय प्लेस आगरा द्वारा निदेशक हरीओम दीक्षित पुत्र श्री ओंकार दीक्षित 503 नारायन टावर, संजय प्लेस के नाम कर दिया गया। इसी आधार पर संशोधन विन्यास मानचित्र दिनांक 14.10.09 को स्वीकृत किया गया।

वर्तमान मे नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स के डायरेक्टर श्री हरिओम दीक्षित के स्थान पर डायरेक्टर श्री राधेयश्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा, 105 फेण्डस बिहार पैराडाईज, खन्दारी, आगरा द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय

16/4
नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

JA
Fileact
25/4/22

A-5

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांकः—45 / बीएफटी / 04 / 04—05 दिनांकः—23 /04 /2022

प्रेषक,

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक
थाना—ताजगंज
जनपद आगरा।

महोदय,

कृपया श्री नासिर हुसैन पुत्र स्व0.श्री माजिद हुसैन, कनिष्ठ लिपिक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा की संलग्न तहरीर का अवलोकन कर श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा, निदेशक—नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0, निवासी—105 फ्रेण्ड्स विहार पैराडाइज, खन्दारी, आगरा के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी)
सचिव

प्रतिलिपिः—

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को सादर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषत नियन्त्रण बोर्ड, आगरा को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से भी विकासकर्ता को विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सचिव

JA
file it
25/4/22

SR LETTER-01

ADA (23/4/22)

A-6

October-2019 (Letter Head) (541)

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक :- 434/D/EE-2/22-23 दिनांक :- 22/4/2022

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता–2,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

1. **श्री देवांशु बोस**
नालन्दा टाउन,
शमशाबाद रोड, आगरा–282001

2. **श्री डी.एल. यादव,**
नि0–277ए नालन्दा टाउन,
शमशाबाद रोड, आगरा–282001

विषय :– नालन्दा टाउन कालोनी में सीवेज के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया नालन्दा टाउन कालोनी के सीवेज के निरस्तारण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं.–329/2021 देवांशु बोस बनाम आ0वि0प्रा0 एवं अन्य में दिनांक 01.12.21 को पारित आदेशों के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 10.12.2021 के स्थल निरीक्षण के उपरान्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन के कम में दिनांक 24.01.22 को बैठक में हुये निर्णय के सम्बन्ध में आपको पत्र सं0–333/डी/ईई–2/21–22 दिनांक 02.02.22 के माध्यम से अवगत कराया गया था। पत्र में आपसे यह अनुरोध किया गया था कि एस.टी.पी. के निर्माण स्थल को सुनिश्चित् करने हेतु आर.डब्लू.ए. की जनरल बॉडी मीटिंग से प्रस्ताव पारित कराकर प्राधिकरण को अवगत करायें, परन्तु अभी तक एस.टी.पी. के निर्माण स्थल के साम्बन्ध में कोई अधिकारिक सूचना प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन कराये जाने में विलम्ब हो रहा है। दिनांक 28.03.22 को उपाध्यक्ष, आ0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित् नहीं किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अनुसार सीवर का बहाव खुले में न करके टैंकरों के माध्यम से किया जाये जिससे कि पर्यावरण का बचाव किया जा सके एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णयों का अनुपालन कराया जा सके। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनाक 01.12.2021 के पैरा–4 एवं अन्य बिन्दुओं के अनुसार ही कार्य किया जाना जनहित में आवश्यक है (आदेश की छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त के कम में यह भी अवगत कराना है कि नालन्दा टाउन कालोनी के निवासियों एवं योजना को विकसित करने वाले विकासकर्ताओं द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं ली गयी है जो अन्यन्त ही चिन्तनीय है।

आ0वि0प्रा0 द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी के गेट के बाहर सड़क व रिक्त भूखण्डों पर एकत्रित स्लज मिश्रित सीवेज जल को हटाया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है, परन्तु नालन्दा टाउन कालोनी के निवासियों द्वारा सीवेज मिश्रित पानी को पम्प से फेंकना बन्द नहीं किया जा रहा है जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का उल्लघंन है एवं निस्तारण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः नालन्दा टाउन कालोनी में पम्प के माध्यम से सड़क पर बहाये जा रहे सीवेज के पानी को टैंकरों से निस्तारण सुनिश्चित् करायें तथा स्थल पर लगाये गये पम्पिंग सैट को स्थल से तत्काल हटाया जाना सुनिश्चित् करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता–2

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री राधेश्याम शर्मा, निदेशक नालन्दा इन्फ्रा डवलपर्स प्रा. लि., नि0–105, फ्रेण्डस विहार पैराडाइज, खन्दारी, आगरा को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.21 का अनुपालन सुनिश्चित् कराने हेतु।
4. मैनेजर, टोरेन्ट पावर लि0, एम.जी. रोड, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि स्थल पर पम्पिंग स्थल पर लगे विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

22/4/22

अधिशासी अभियन्ता–2

JA
Fileit
25/4/22

A-7

47

NALANDA
BUILDERS AND DEVELOPERS (I) LTD.

Ist Floor, Shanti Mall, Church Road, Ram Nagar, Agra
Ph.: 2522590
CIN : U45201UP2005PLC030688
Web : www.nalandabuilders.com

Ref. No. Date

कार्यालय-उपाध्यक्ष
रजिस्टर क्रमांक 926
प्राप्ति का दिनांक 28/04/22

SE/TP/EE-2 AE(III) Deshraj

सेवा में,

उपाध्यक्ष महोदय,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण
29.4.22

T.P.

विषय- नालंदा टाउन शमशाबाद रोड आगरा में एस0टी0पी0 बनाने के सबंध में।

02/5/202
AE

महोदय,

कृपया आकपे पत्रांक सं0- 45/BFT/04/04-05 के सबंध में निवेदन है हमने उक्त कॉलोनी में एस0टी0पी0 निर्माण करने के लिये वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है जो कि M/s Riasa Water Technologies Pvt. Ltd. Shakarpur New Delhi का दिया गया है साइट पर हमें केवल Foundation Work करना है शेष पूरा एस0टी0पी0 उक्त कम्पनी द्वारा अपनी फैक्ट्री में बनाकर साइट पर Install करना है आज से 45 दिन के अन्दर एस0टी0पी0 को पूर्ण रूप से संचालित कर दिया जायेगा।

धन्यवाद

अंकुर दुबे
निदेशक

FOR NALANDA BUILDERS & DEVELOPERS (I) LTD.
DIRECTOR

संलग्न-
वर्क ऑर्डर की प्रति
अग्रिम धनराशि के चैक की प्रति।

6/5/22

E-mail : info@nalandabuilders.com Fax No.: 0562-2522590

Scanned with CamScanner
Scanned by Scanner Go

परमानन्द किशोर
अवर अभियन्ता

अशोक कुमार सिंह
सहायक अभियन्ता
आगरा विकास प्राधिकरण

देवेन्द्र सिंह भदौरिया
अधिशासी अभियन्ता

A-8

(183)

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक :- 472/डी/ई-2/22-23

दिनांक :- 10/5/22

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता-2,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

1. श्री देवांशु बोस
नालन्दा टाउन,
शमशाबाद रोड, आगरा-282001

2. श्री डी.एल. यादव, (whatsapp on मा०...)
नि0-277ए नालन्दा टाउन,
शमशाबाद रोड, आगरा-282001

विषय :- नालन्दा टाउन कालोनी में सीवेज मिश्रित पानी को सड़क पर बहाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय पत्रांक 434/डी/ईई-2/22-23 दिनांक 22.04.22 एवं 445/डी/ईई-2/22-23 दिनांक 26.04.22 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में आपको सूचित करना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01.12.2021 के अनुपालन में आ0वि0प्रा0 द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी के गेट के बाहर नाली व खाली प्लॉटो में भरे हुये सीवेज के पानी को पूर्ण रूप से स्थल से टैंकरों के माध्यम से हटवाकर खाली कर दिया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 24.01.22 के पैरा-2 में भी स्पष्ट निर्देश है कि प्राधिकरण द्वारा नालन्दा टाउन कालोनी के बाहर एकत्रित सीवेज को एक बार पूर्ण रूप से हटाने के पश्चात् यदि पुनः सीवेज का जल भराव होता है तो टैंकरों द्वारा उसके निस्तारण का उत्तरदायित्व नालन्दा टाउन कालोनी के आर.डब्लू.ए. का होगा। किन्तु स्थल निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ है कि कालोनी का सीवेज मिश्रित पानी नालियों के द्वारा गेट के बाहर सड़क के गढ्डे में बहाया जा रहा है, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश एवं गठित समिति द्वारा दिये गये निर्णयों का सीधा उल्लघंन किया जा रहा है एवं पर्यावरण को भी प्रदूषित किया जा रहा है। आ0वि0प्रा0 द्वारा एस.टी.पी. के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

पूर्व पत्रों में आपसे अनुरोध किया गया था कि नालन्दा टाउन कालोनी के समुचित विकास हेतु आर.डब्लू.ए. का गठन करें, किन्तु अभी तक इस में कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं प्राधिकरण को सूचना भी नहीं दी गयी।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्णय के अनुपालन में नालन्दा टाउन कालोनी के गेट के बाहर सीवेज के पानी का निस्तारण टैंकरों के माध्यम से कराना सुनिश्चित् करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 10/5/22
अधिशासी अभियन्ता-2

प्रतिलिपि :-
1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 10/5/22
अधिशासी अभियन्ता-2

AE

Scanned by Scanner Go

परमानन्द किशोर
अवर अभियन्ता

अशोक कुमार सिंह
सहायक अभियन्ता
आगरा विकास प्राधिकरण

देवेन्द्र सिंह ...
अधिशासी अभियन्ता

25-5-22

A-9

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

852

संदर्भ संख्या H75360 / सी–4 / एन0जी0टी0–141 / 2022 दिनांक 20-5-22

सेवा में,

श्री राधे श्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा,
डायरेक्टर,
मेसर्स नालन्दा टाउन, शमशाबाद रोड, आगरा,
105 फ्रैण्ड्स विहार, पैराडाइस खन्दारी,
आगरा।

13-5-22

विषय– **मेसर्स नालन्दा टाउन, शमशाबाद रोड, आगरा में एस0टी0पी0 का निर्माण किये बगैर अशुद्धिकृत सीवेज उत्प्रवाह को टाउनशिप के गेट के बाहर जमीन पर छोड़े जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 24.03.2022 को आदेश पारित किये गये है, जिसके निम्नवत् मुख्य अंश का संदर्भ लेना चाहें–

"..........8. In view of above, further remedial action be now taken to ensure that proper sewerage system is in place connected to an appropriate STP. No untreated sewage is discharged in open. This may be ensured by the Vice 14 Chairman, ADA and overseen by the Additional Chief Secretary, Urban Development, UP and State PCB. This order is without prejudice to the coercive measures which may be taken by the State PCB, in accordance with law. The Additional Chief Secretary, Urban Development may sort out any unresolved issue with regard to financial liability or any other issue.

9. Let an action taken report be filed by the Additional Chief Secretary, Urban Development, Vice Chairman, ADA and UPPCB within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. They may also apprise the Tribunal about remedial action with regard to similar situations at other locations in Agra and other cities in the State of UP.........."

उक्त के क्रम में अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देश कि राज्य प्रदूषण बोर्ड सम्बन्धित बिल्डर के विरुद्ध नियमानुसार पेनाल्टी अधिरोपित किया जाये, के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित संस्तुति पत्रांक 71 / ओ0जी0–673 / 2022 दिनांक 26.04.2022 में मेसर्स नालन्दा टाउन, शमशाबाद रोड, आगरा में एस0टी0पी0 का निर्माण किंये बगैर अशुद्धिकृत सीवेज उत्प्रवाह को टाउनशिप के गेट के बाहर जमीन पर छोड़े जाने के कारण मेसर्स नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स के डायरेक्टर श्री राधे श्याम शर्मा के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0–2,13,98,438/- (रूपये दो करोड़ तेरह लाख अट्ठानबे हजार चार सौ अड़तीस मात्र) अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 24.03.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में मेसर्स नालन्दा टाउन, शमशाबाद रोड, आगरा में एस0टी0पी0 का निर्माण किये बगैर अशुद्धिकृत सीवेज उत्प्रवाह को टाउनशिप के गेट के बाहर जमीन पर छोड़े जाने के कारण मेसर्स नालन्दा

JA
file
25/5/22

e-mail-roagra@uppcb.in

A-10

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –147 /06-640/2022 दिनांक –18/05/2022

पंजीकृत

सेवा में,

श्री राधे श्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा,
डायरेक्टर,
मै0 नालन्दा टाउन, शमशाबाद रोड, आगरा,
105, फ्रैण्ड्स विहार, पैराडाइस, खन्दारी,
आगरा।

विषयः–मै0 नालन्दा टाउन, शमसाबाद रोड, आगरा में एस0टी0पी0 का निर्माण किये बगैर अशुद्धिकृत सीवेज उत्प्रवाह को टाउनशिप के गेट के बाहर जमीन पर छोड़े जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच75360/सी–4/एन0जी0टी0–141/2022 दिनांक 10.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–329/2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण एवं अन्य में दिनांक 24.03.2022 को पारित आदेश के कम में अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में मै0 नालन्दा टाउन, शमसाबाद रोड, आगरा में एस0टी0पी0 का निर्माण किये बगैर अशुद्धिकृत सीवेज उत्प्रवाह को टाउनशिप के गेट के बाहर जमीन पर छोड़े जाने के कारण मै0 नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स के डायरेक्टर श्री राधे श्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा, 105, फ्रैण्ड्स विहार पैराडाइस खन्दारी, आगरा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0–2,1398438/–(रूपये दो करोड़ तेरह लाख अट्ठानबे हजार चार सौ अड़तीय मात्र) अधिरोपित की गयी है।

उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चत करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य इस कार्यालय को भी प्रेषित करें, जिससे सूचना बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जा सके।

भवदीय

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
O/c क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/05/22

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
O/c

A-11

-mail:-roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन संख्या 14, सेक्टर–3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – ....316 /ओ0जी0–676 / 2022 दिनांक –.....16 / 06 / 2022

महत्वपूर्ण

सेवा में,

श्री राधे श्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा,
डायरेक्टर,
मै0 नालन्दा टाउन, शमसाबाद रोड, आगरा,
105, फ्रैण्डस विहार, पैराडाइस, खन्दारी,
आगरा।

विषयः– मै0 नालन्दा टाउन, शमसाबाद रोड, आगरा में एस0टी0पी0 का निर्माण किये बगैर अशुद्धिकृत सीवेज उत्प्रवाह को टाउनशिप के गेट के बाहर जमीन पर छोड़े जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक 147 / ओजी–640 / 2022 दिनांक 18.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मै0 नालन्दा टाउन, शमसाबाद रोड, आगरा में एस0टी0पी0 का निर्माण किये बगैर अशुद्धिकृत सीवेज उत्प्रवाह को टाउनशिप के गेट के बाहर जमीन पर छोड़े जाने के कारण मै0 नालन्दा बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स के डायरेक्टर श्री राधे श्याम शर्मा पुत्र श्री राम आसरे शर्मा, 105, फ्रेण्डस विहार पैराडाइस खन्दारी, आगरा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0–2,1398438 / –(रूपये दो करोड़ तेरह लाख अट्ठानवे हजार चार सौ अड़तीस मात्र) अधिरोपित की गयी है। उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु अभी तक आप द्वारा उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा नहीं करायी गयी है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य इस कार्यालय को भी प्रेषित करें, जिससे सूचना बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि :

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

16/6/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

A-12

D.K.Tripathi
Advocate
Civil Courts

Resi/Off:-
321/ 5, Avas Vikas Colony,
Sikandra, AGRA-282 007
Cell No.9411403705
Email:-dktadvocate@gmail.com
Dated: May 23, 2022.

SPEED POST

1. Mr. Pradeep Sharma,
Chief Environment Officer, Vritt-4,
U.P. Pollution Control Board,
TC-12-V, Vibhuti Khand, Gomati Nagar,
LUCKNOW-226 010

2. Dr. Vishvnath Sharma,
The Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board,
House No.14 Sector 3-B, Avas Vikas Sikandra Scheme,
AGRA-282 007.

Dear Sirs,

The letter No.75360/C-4/NGT-141/2022 dated 10.05.2022 issued under the signature of you addressee No.1 and followed by Letter No.147/04-640/2022 dated 18.05.2022 issued under the signature of You addressee No.2 of this notice has been put in my hand by my client Shri Radhey Shyam Sharma son of Shri Ram Pratap Sharma resident of Flat No.105 ,Friends Paradise, Khandhari- Agra, with instructions to reply you as under:-

(I). That a detailed notice has been given by my client to Agra Development Authority which runs as under:-

"D.K.Tripathi
Advocate
Civil Courts

Resi/Off:-
321/ 5, Avas Vikas Colony,
Sikandra, AGRA-282 007
Cell No.9411403705
Email:-dktadvocate@gmail.com
Dated: May 17, 2022.

SPEED POST

To,
Dr. Rajendra Pansia,
(I.A.S.)
Vice Chairman ,
Agra Development Authority,
Jaipur House,
AGRA-282 010.

Dear Sir,

Under the instructions from my client Shri Radhey Shyam Sharma s/o Shri Ram Pratap Sharma resident of Flat No.105 ,Friends Paradise, Khandhari- Agra, this legal notice is being given as under:-

1. That Agra Development Authority being an instrumentality of State. you being vice chairman of Agra Development Authority are solely responsible for all its acts, deeds, actions and activities etc. in person and chair both way .

2. That village Baroli Ahir at Shamshabad Road, is situated within the limit of the Agra Development Area and as such the layout plan of colony **"NALANDA TOWN"** was sanctioned on 19.10.2006 vide File No.**45/BFT/4/2004-2005**, and to insure the development works an agreement was also executed between Agra Development Authority and M/s Nalanda Builders & Developers (I) Limited through its Director Mr. Hariom Dixit. As the land by that time was in not in the exclusive ownership and possession of M/s Nalanda Builders and Developers (I) India Ltd. hence its erstwhile owners Ms. Ranjana Agarwal and Mr. Rajeev Agarwal also joined the aforesaid agreement.

3. That towards the external development charges a sum of Rs. 77,68,682.00(Rupees Seventy seven lacs sixty eight thousand six hundred eighty two only) were paid apart from and in addition to the supervision charges.

4. That to insure the proper and time bound execution of the internal development works well within the time as mentioned in the agreement mentioned above numerous plot were mortgaged in favour of Agra Development Authority at the time of execution of the agreement referred above and all the mortgaged plots were released as the internal development work was found complete in all respect which is evident from the record of the concerned file and a note to this effect was made in the file concerned at page No.34 by the Junior Engineer, Asstt. Engineer and even the C.A.P. which fact is further fortified in the noting dated 13.10.2009 when a revised layout plan of aforesaid colony was submitted for fresh sanction which could be released only on 27.10.2009 well before the date fixed for the completion of the internal development works i.e. 04.10.2010.

5. That and there was no complaint against the Builder and/or my client as is evident from the noting made at the time of sanction of revised layout plan which reads as under:-

" सहायक अभियंता(भवन)/टी0पी0/सचिव/उपाध्यक्ष,

....

7. विकास कार्य: स्थल पर विकास कार्य पूर्ण है न तो योजना क्षेत्रफल में बढोत्तरी की गयी है और नहीं प्लाटेड क्षेत्रफल में बढोत्तरी की गयी है अतः कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही है ।................

ह/.
अवर अभियंता

ए0ई0
उपाध्यक्ष "

6. That this colony was also intended to be transferred to the Nagar Nigam, for which sincere efforts were made by the promoter of the colony but in vain as it was found that the village Baroli Ahir is not within the limits of the Nagar Nigam at the relevant time. Further a Resident welfare Association was formed to look after the civic and utility services in the aforesaid colony

and it was being done accordingly by the residents of the Nalanda Town colony.

7. That it appears that due to dissention amongst the residents, persons whose vested interest could not be full filled by the promoters started forming another society some where in the year around 2015-16 and it appears that due to some complaint, ex-parte/unilateral inspection without affording any opportunity either to the company or to my client was made.

8. That it is relevant to mention herein that and you addressee felt at your own whim and fancy, did not issue the work completion certificate and further got forcefully mortgaged on 31.08.2015 an area of 644.00 square meters mortgaged to in your favour against the alleged balance/remaining internal development works.
9. That you also passed resolutions in the meeting of Board of the Agra Development Authority held on 13.08.2015 at point No.10 and further meeting on 20.10.2016 at point no.7 to the effect that all the remaining works shall be carried out by you addressee which was neither valued/estimated nor quantified but on the contrary, the development authority decided to realise the value of mortgaged plots @ circle rate and in furtherance thereof a recovery citation for the realisation of a sum of Rs. 52,80,800.00(Rupees fifty two lacs eighty thousand eight hundred only) was issued unilaterally and the same was realised from my client by adopting the coercive mode and remitted to Agra Development Authority by the Recovery Officer/Tehsildar(Sadar) Agra, by 01.05.2018.

10. That contrary to the fact that the internal developments were carried out and S.T.P. was installed which with the passage of time and/or for want of maintenance either was removed by the unknown persons as the society created for the maintenance in the aforesaid colony was not interested to take care thereof in-spite of repeated requests of the promoter of colony due to internal private disputes amongst them and the Agra Development Authority did not issue the work completion certificate nor released the mortgaged plots and kept on lingering on the matter on the false pretext.

11. That you addressee further directed to the superintending engineer-II to ensure the execution of the development work well within the time on **06.02.2020 vide letter No.45/BFT/04-05** under the signature of Secretary of your institution, which reads as under:-

<u>आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा</u>

पत्रांक : 45 बीएफटी/04/04–05 दिनांक: 6/2/2020

<u>अधीक्षण अभियंता–द्वितीय,</u>

कृपया आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मौजा बरौली अहीर स्थित नालन्दा टाउन कालौनी का विन्यास मानचित्र सं. 45 बीएफटी/04/04–05 दिनांक 19ण्01ण्06 स्वीकृत किया गया था । तदोपरान्त किसकर्ता द्वारा आन्तरिक विकास कार्य न कराये जाने के कारण प्राधिकरण कड़ी बोर्ड बैठक दिनांक 13.08. 2015 के मद संख्या 10 एवं वोर्ड बैठक दिनांक 20/10/2016 के मद संख्या –07 पर नालंदा टाउन कालौनी के आन्तरिक विकास कार्य कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया था । प्रश्नगत कालौनी में आन्तरिक विकास कार्य के मद में बंधक भूखण्डो के मूल्य के बराबर वर्तमान सर्किल दर के आधार पर गणना करते हुए धनांक रू0 52,80,800.00 की आर0सी0 जारी की गयी, जोकि कार्यालय तहसीलदार (सदर) आगरा के पत्र संख्या–92/वा0वा0न0, दिनांक 10.05.2019 के अनुसार विकासकर्ता से वसूल की जा चूकी है । तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 17.05.2019 को आप

को प्रश्नगत कालौनी के आन्तरिक विकास कार्यो का निरीक्षण करते हुए आगणन तैयार कर विकास कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये । मुख्य नगर नियोजक द्वारा दिनांक 30.07.19 एवं 18.07ण19 के माध्यम से आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराये जहाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये है ।

अतः आप से अपेक्षा है कि नालन्दा टाउन कालौनी के अवशेष आन्तरिक विकास कार्यो को नियमानुसार यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें ।

ह/–
(राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी)
सचिव

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ ।
2. मुख्य नगर नियोजक को सूचनार्थ ।

ह/–
सचिव

12. That not only this you addressee even did not spent a single penny on the external development works in the vicinity of the colony aforesaid as is evident from perusal of point No.02 of the noting side dated 22.05.2013 of the official file of aforesaid colony in your office which reads as under:-

"........... स्थल पर एसटीपी का निर्माण नही करया गया है बल्कि सीवर लाईन को सेप्टिक टैक व सोक पिट से जोडकर ओवर फलो को पाइप लाईन के माध्यम से ड्रेनेज को बाहर नाले में डाल दिया गया है लेकिन कालौनी के बाहर नाला गन्दगी से भरा होने व कालौनी के बाहर कालोनी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर किसान की भूमि होने के कारण नाले का निर्माण न हो पाने के कारण ड्रेनेज का निस्तारण नही है........

वाटर लागिंग की समस्या का निदान तबतक सम्भव नही है जलब तक कि बिन्दु–2 में अंकित नाले का निर्माण नही हो जाता ......"

13. That instead of carrying out the development work the Agra Development Authority enriched illegally itself by withholding the funds in a illegal way and manner which amounts to dereliction in duties casted under law over you and the same is penal under law contrary to which you addressee in order to safe yourself under disguise have preferred to lodge the first information report but the same shall not exonerate your liability in person and chair both as it amounts to corruption rampant in your office and further contribution towards the deliberate increase of environmental pollution and are bent upon to protect your subordinate erring officials which is penal in nature and you have rendered yourself liable for the same in the court of law .

14. That so far you addressee has not taken any step to ensure the external development in the vicinity which is solely attributable to you and besides this the remaining or the balance internal works in the colony which were to be completed at your end has not been given effect to which is penal in nature as is defined under Section 166 of the Indian Penal Code which is reproduced for your perusal:-

> "***166.Public Servant disobeying law, with intent to cause injury to any person-***Whoever, being a public servant, knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause, or knowing it to be likely that he will, by such disobedience, cause injury to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year , or with fine or with both."

15. That you have constantly protecting your subordinate officials who deliberately have given a go bye to the every order made by you for the reasons not known to my client.

16. That deliberately having received the amount of Rs. **77,68,682.00**(Rupees Seventy seven lacs sixty eight thousand six hundred eighty two only) and Rs. 52,80,800.00 totalling to **Rs.1,30,49,482.00** failed to follow the direction of law in terms of the agreement entered into between Agra Development Authority and M/s Nalanda Builders & Developers(I) Ltd and further did not issue the work completion certificate either to my client or to M/s Nalanda Builders and Developers India Limited and at yours own choice without verifying the facts existing on the aforesaid file and have illegally proceeded in criminal side for the malicious prosecution and harassment of my client with the ulterior motive in contravention to the obligation casted under the agreement made for the execution of the internal development works of the colony NALANDA TOWN. That your aforesaid act is penal and renders liable for the consequential effect.

17. That my client is no more director of M/s Nalanda Builders and Developers (I) Limited. Resignation by my client was given on 10.03.2017 from the post of director and intimation to this effect was sent to the Registrar of Companies at Kanpur. Intimation of this fact was also sent to your office on 27.03.2018 to record the same in the relevant records of your office pertaining to the sanction of layout plan of colony" Nalanda Town " and make the further correspondence with the director(s) of this company namely Shri Ashok Kumar Tiwari, Ankur Dubey and Sushil Kumar Singh but it appears that no action was taken.

18. That it is also a matter of surprise and dismay that the acts of the Agra Development Authority are in violation of clause 6 and 7 of the agreement entered into to which my client was not a party at all.

Therefore you are hereby called upon within the period of a week of the receipt of this notice as to why not appropriate action be taken against you in person and chair in civil and criminal side both for the redress of grievance of my client as he is being put to run from pillar to post and is not at fault in any manner whatsoever and the official protection available to public servants of class-I shall not be available to you which please note and also arrange to send a sum of Rs.5500/- incurred by my client aforesaid towards the cost of this notice.
Thanking you,

Yours,

Sd/-

(D.K.Tripathi)
ADVOCATE "

(II)- That a perusal of the aforesaid notice clearly establishes beyond doubts that the acts of the Agra Development Authority is in violation and contradiction to the obligation of the agreement executed for the internal and external development of the colony.

(III)- That for your perusal clause No. 6 & 7 of the agreement mentioned and referred above is reproduced hereunder:-

> *"6.(b). External Development :- The first half yearly instalment of the cost whereof, amounting to Rs.10,30,450/- has been deposited by the Coloniser with the Authority, which is to be carried out by the Authority. Remaining 5 instalments of actual external development Rs. 11,51,105/- each will be deposited on 01.03.06, 01.09.06, 1.03.07, 01.09.07, 01,03.08.*
>
> *(c) That the Colonizer undertakes to deposit with the development Authority the proportionate cost of construction of master plan road in the area as calculated by the Authority in the area calculated as calculated by the AUTHORITY. The colonizer shall not raise any objection to this effect and shall incorporate a clause in the sale deed to be executed in favour of its members that the plot/house owners shall have to pay such charges as and when demanded by the AUTHORITY. If the Colonizer or its members fail to pay the amount, it shall be recovered as arrears of land revenue.*
>
> *7. THAT there is no external sewer line at present around the colony and as such, it is not possible to connect the internal sewer lines with any external line. In such a situation, the COLONIZER may instead of laying sewer line in the colony may make individual septic tanks and soak pits in plots, however, it is the responsibility of the individuals to construct septic tank/soak pits for proper discharge of sewerage and no effluent shall be permitted to be discharged in the open drain. However, in future, if it is possible to extend sewer line in the area, then the plot/house owner shall be liable to pay the proportionate cost of external sewer line, as may be decided by the agency responsible for laying sewer line. In case of violation, the individual plot/house shall*
> *Be prosecuted as per law. All these conditions shall be incorporated by the Coloniser in the sale deed executed by it in favour of its members/ individuals. "*

(IV)- That otherwise also my client is not responsible for the alleged act(s), individually, and is not the director of M/s Nalanda Builders & Developers (I) Limited.

(V)-That in the circumstances stated above, you are hereby requested to please remove the name of my client and address the same to the Agra Development Authority and/or to the individuals/inhabitants whose name and address may be collected from the residents of the colony Nalanda Town, failing which my client shall be constrained to take legal recourse for the remedy of its grievance at the cost , risk and consequences of you both the addressee in chair and person both, within a week of the receipt of this notice as he is being put to run from pillar to post and is not at fault in any manner whatsoever. Please also send a sum of Rs.5500/- incurred by my client aforesaid towards the cost of this notice.

Thanking you,

Yours,

(D.K.Tripathi)
ADVOCATE

A-13

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.03.2022 के कम में नालन्दा टाउन कालोनी की निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–329 / 2021 देवांशु बोस बनाम आगरा विकास प्राधिकरण व अन्य में दिनांक 24.03.2022 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:–

8. In view of above, further remedial action be now taken to ensure that proper sewerage system is in place connected to an appropriate STP. No untreated sewage is discharged in open. This may be ensured by the Vice 14 Chairman, ADA and overseen by the Additional Chief Secretary, Urban Development, UP and State PCB. This order is without prejudice to the coercive measures which may be taken by the State PCB, in accordance with law. The Additional Chief Secretary, Urban Development may sort out any unresolved issue with regard to financial liability or any other issue.

9. Let an action taken report be filed by the Additional Chief Secretary, Urban Development, Vice Chairman, ADA and UPPCB within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. They may also apprise the Tribunal about remedial action with regard to similar situations at other locations in Agra and other cities in the State of UP.

तत्कम में मै0 नालन्दा टाउन कालोनी का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 10.06.2022 एवं 23.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री संतोष कुमार, सुपरवाईजर, आगरा विकास प्राधिकरण प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के कम में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.04.2022 से नालन्दा टाउन कलोनी के गेट नं0–2 के बाहर जमीन पर भरे हुये डोमेस्टिक सीवेज एवं नाले में भरे सीवेज को टैंकरो के माध्यम से हटाने का कार्य शुरू किया गया था जोकि दिनांक 10.05.2022 तक पूर्ण कर लिया गया है तथा हटाये गये डोमेस्टिक सीवेज को निस्तारण हेतु 78एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 धॉधुपुरा पर भेजा गया है तथा वर्तमान में नालन्दा टाउन कॉलोनी से जनित सीवेज को टैंकर के माध्यम से घॉधुपुरा स्थित 78एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर निस्तारण हेतु भेजा जा रहा है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि नालन्दा टाउन कालोनी में डोमेस्टिक सीवेज के डिस्पोजल हेतु एस0टी0पी0 का निर्माण नालन्दा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा कराया जा रहा है।

दिनांक 10.06.2022 को किये गये निरीक्षण के समय नालन्दा टाउन कालोनी के अन्दर सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में सिविल कार्य होता हुआ पाया गया तथा दिनांक 23.06.2022 को किये गये निरीक्षण के समय सिविल कार्य प्रगति पर पाया गया।

SA J.E

उपस्थित सुपरवाइजर द्वारा अवगत कराया गया कि सिविल निर्माण कार्य लगभग एक माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स पत्र के साथ सलंग्न है।

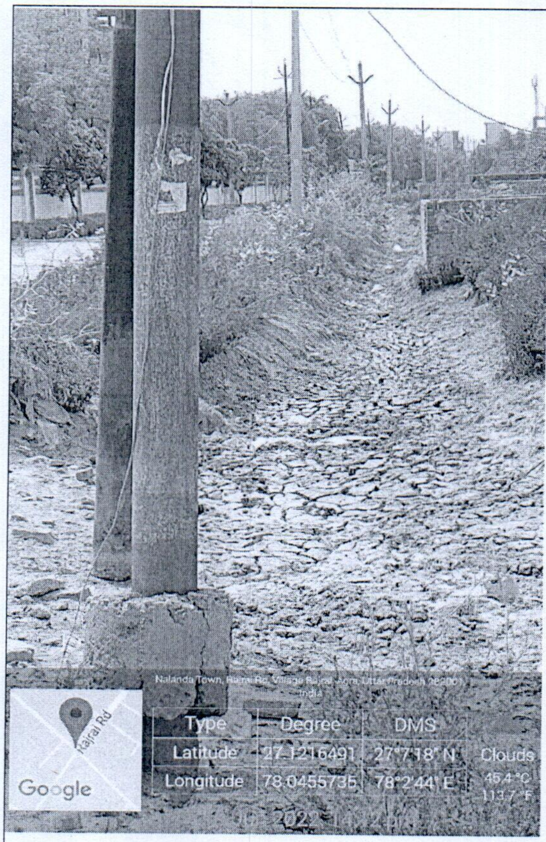

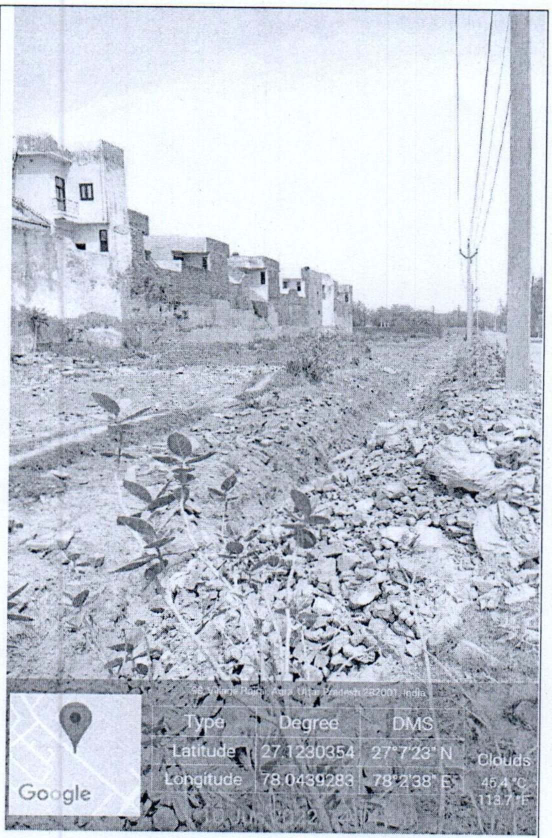

SA

J.E

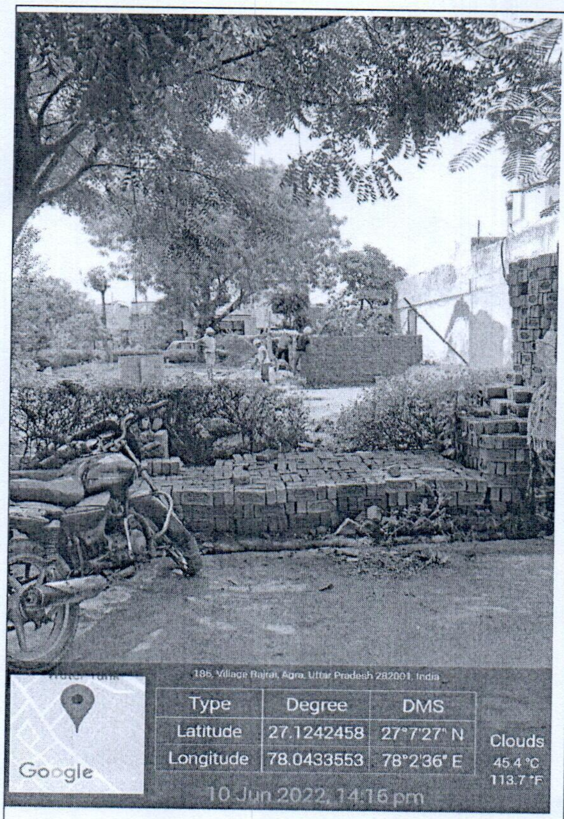
Google
Type | Degree | DMS
Latitude | 27.1242458 | 27°7'27" N
Longitude | 78.0433553 | 78°2'36" E
Clouds
45.4 °C
113.7 °F
10 Jun 2022, 14:15 pm

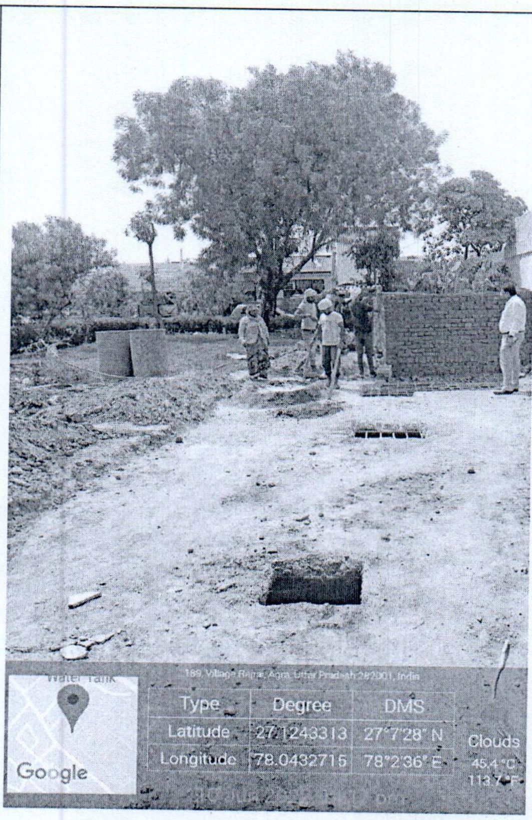
Google
Type | Degree | DMS
Latitude | 27.1243313 | 27°7'28" N
Longitude | 78.0432715 | 78°2'36" E
Clouds
45.4 °C
113.7 °F

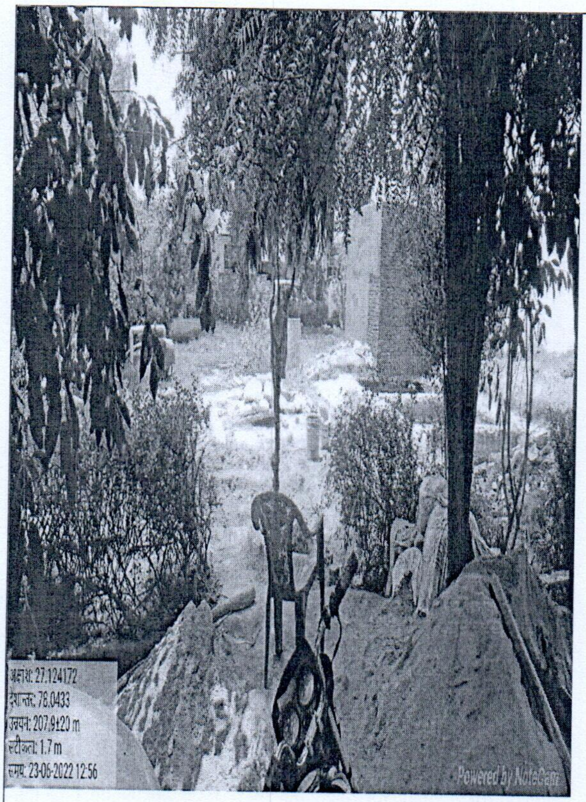
अक्षांश: 27.124172
देशान्तर: 78.0433
उत्थापन: 207.9±20 m
सटीकता: 1.7 m
समय: 23-06-2022 12:56

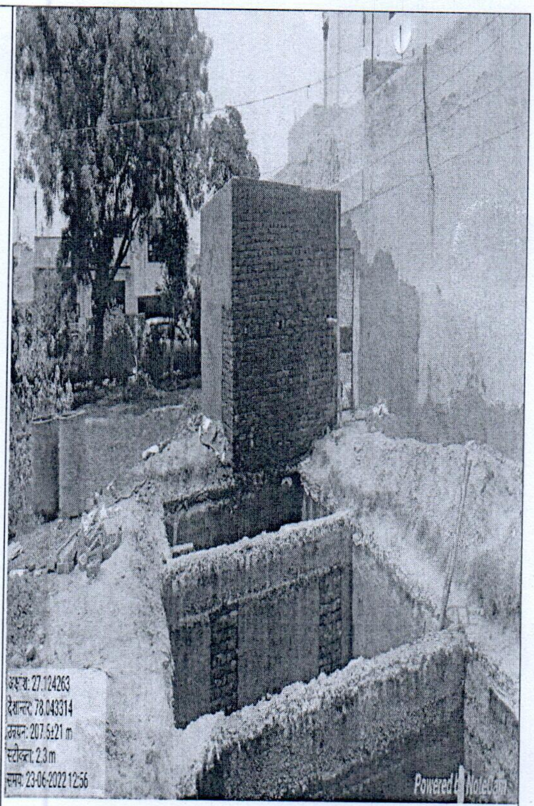
अक्षांश: 27.124263
देशान्तर: 78.043314
उत्थापन: 207.5±21 m
सटीकता: 2.3 m
समय: 23-06-2022 12:56

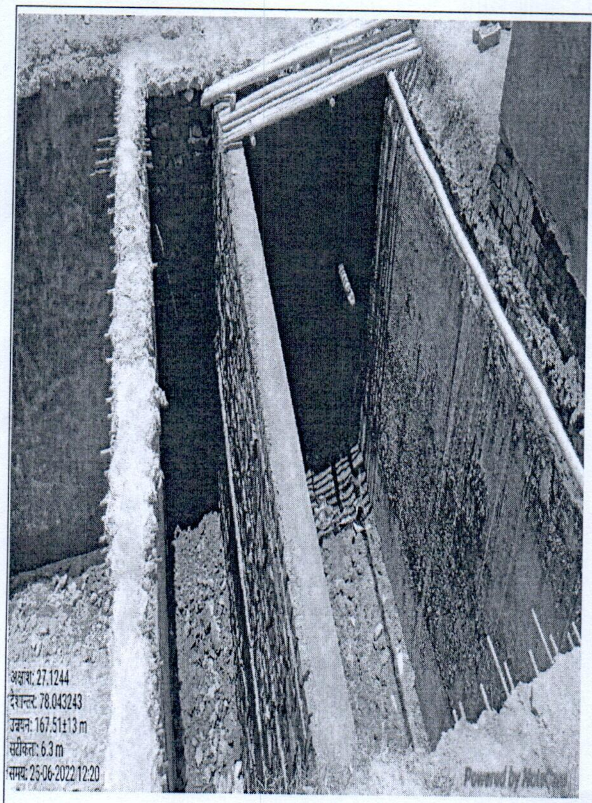

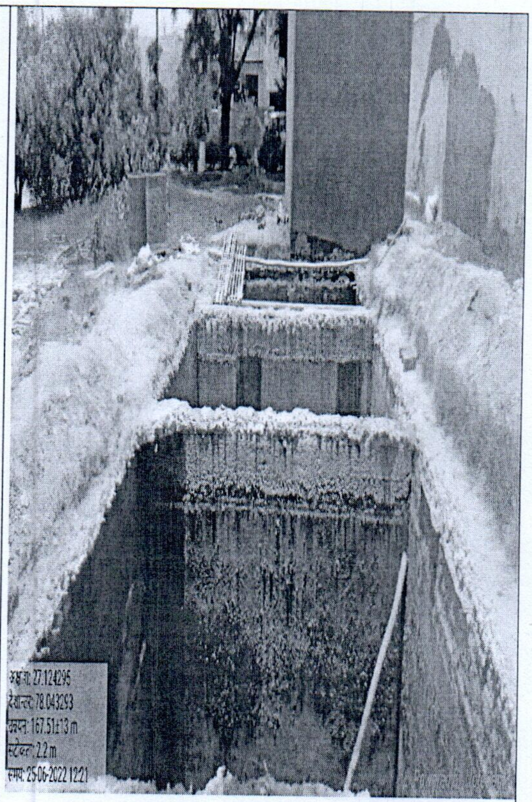

आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अमरेन्द्र सिंह)
वैज्ञानिक सहायक

(चन्द्र शेखर)
अवर अभियन्ता

<u>क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)</u>